

संदर्भ: सूचना का अधिकार अधिनियम, अध्याय II धारा 4 (ख) खंड (VI)

सेवा संबंधी उप कानून

परिषद् के नियम और विनियम के नियम 20 (एफ) के अंतर्गत सामान्य निकाय एकद्वारा निम्नलिखित सेवा संबंधी उप कानून बनाती है और उन्हें ग्रहण करती है:

संक्षिप्त नाम और आरंभ

(i) ये उपकानून लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद् (सेवा) उपकानून कहलाएंगे।

ये 1.9.1986 से प्रवृत्त हुए माने जाएंगे।

अनुप्रयोग

ये उप कानून, यदि संदर्भ में कुछ अन्य आवश्यकता न हो तो

परिभाषाएं:

इन उपकानूनों में यदि संदर्भ में कुछ अन्य आवश्यक न हो तो,

(i) परिषद् में किसी पद के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी से" तात्पर्य है उस पद पर उप कानून 6 के अंतर्गत नियुक्ति करने हेतु सक्षम प्राधिकारी।

(ii) "वित्त और नियुक्ति संबंधी समिति" से तात्पर्य है परिषद् के नियम और विनियम के नियम पर के अंतर्गत गठित वित्त और नियुक्ति संबंधी स्थायी समिति।

(iii) "कर्मचारी" से तात्पर्य है परिषद् में किसी विनिर्दिष्ट पद पर सेवारत व्यक्ति।

(iv) "विदेश सेवा" से तात्पर्य उस सेवा से है जिसके लिए कर्मचारी को नियुक्ति प्राधिकारी के अनुमोदन से उसका वेतन परिषद् की निधियों से न मिलकर किसी अन्य स्रोत से प्राप्त होता है।

(v) "वेतन" से तात्पर्य है केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू मूल नियम के एफआर 9 (21) में पारिभाषित अनुसार संबोधित तिथि पर देय राशि।

(vi) "संस्वीकृति प्राधिकारी" से तात्पर्य है:

(क) समूह क पदों के संबंध में : कार्यकारी समिति और

(ख) समूह ख, ग और घ के संबंध में : महानिदेशक

सभी शब्द और अतिव्यक्तियां जिनका इन उप कानूनों में उपयोग किया गया है लेकिन परिभाषित नहीं किया गया है और जिन्हें परिषद् के नियमों में परिभाषित किया गया है, उनका अर्थ वही होगा जो क्रमशः उक्त नियमों में उन्हें दिया गया है।

अध्याय III भर्ती

नियुक्ति प्राधिकारी

नियुक्ति प्राधिकारी निम्न प्रकार से होगा:

- (i) सभी समूह क पदों के मामले में कार्यकारी समिति।
- (ii) सभी समूह ख, ग और घ पदों के मामले में महानिदेशक बशर्ते कि अधिकतम 6700 रू. प्रतिमाह और अधिक के वेतन वाले पद पर नियुक्ति के लिए भारत सरकार का पूर्व अनुमोदन आवश्यक है।

भर्ती की विधि

परिषद् के अंतर्गत किसी पद पर भर्ती, भर्ती नियमों में दिए गए अनुसार होगी:

- (i) सीधी भर्ती द्वारा
- (ii) पदोन्नति द्वारा
- (iii) प्रतिनियुक्ति द्वारा और/अथवा
- (iv) ठेके पर

जो व्यक्ति पहले से ही परिषद् में सेवारत हैं, यदि योग्यता प्राप्त हैं तो सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले प्रस्तावित किसी भी पद के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे।

सीधी भर्ती

नियुक्ति प्राधिकारी चयन समिति की सिफारिश पर निम्न अन्यर्कियों में से किसी भी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्तियं कर सकती है:

- (i) रोजगार कार्यालय द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों में से अनुरोध पर अथवा
- (ii) किसी विज्ञापन के प्रत्युत्तर में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों में से अथवा
- (iii) उपयुक्त व्यक्तियों को आमंत्रित करने के द्वारा।

पदोन्नति द्वारा भर्ती

- (i) किसी भी ग्रेड में पद पर पदोन्नति द्वारा नियुक्ति अगले निम्न ग्रेड में पदों पर कार्यरत कर्मचारियों में से की जाए जैसा कि भर्ती नियमों में दिया गया है।
- (ii) पदोन्नति द्वारा होने वाली प्रत्येक नियुक्ति वरीयता के आधार पर वरिष्ठता को सम्मान देने हुए चयन द्वारा की जाए जैसा कि चयन समिति द्वारा परामर्श दिया गया है।

प्रतिनियुक्ति वाले कर्मचारियों नियुक्ति

प्रतिनियुक्ति वाले कर्मचारियों की नियुक्ति किसी पद पर उन निबंधनों और शर्तों पर की जा सकती है जिन्हे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उचित समझा जाए। प्रतिनियुक्ति वाले कर्मचारियों के लिए निबंधन और शर्तें निर्धारित करने हुए केंद्र सरकार के नियमों और विनियमों को ध्यान में रखा जाएगा।

अ जा/अ ज जा हेतु भर्ती नियम और आरक्षण

- (i) कार्यकारी समिति विभिन्न पदों हेतु भर्ती नियम निर्धारित कर सकती है। इन नियमों में विभिन्न पदों पर नियुक्ति हेतु, आयु, योग्यताएं, अनुभव इत्यादि और भर्ती की विधियों का उल्लेख किया जाए।
- (ii) परिषद् में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की भर्ती हेतु आरक्षण के मामले में भारती सरकार द्वारा तत्विषयक जारी किये गए निदेशों का अनुपालन किया जाए।

स्वस्थता

किसी व्यक्ति की किसी पर सीधी भर्ती द्वारा तब तक भर्ती नहीं होगी जब तक कि

- (i) वह किसी चिकित्सक जिसे महानिदेशक द्वारा हेतु अनुमोदित किया गया हो जिससे प्राप्त शारीरिक स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करता, जिसकी लागत उसे स्वयं वहन करनी होगी। बशर्ते कि कार्यकारी समिति पर्याप्त कारणों से किसी विशेष मामले अथवा मामलों में चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं में छूट दे सकती है अथवा किसी मामले अथवा मामले के वर्ग से ऐसी चिकित्सा जांच को अलग कर सकती है: आगे बशर्ते कि छह माह अथवा कम की अवधि की अस्थायी नियुक्तियों के मामले में प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
- (ii) नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट न हो कि उसका चरित्र अच्छा है और पूर्ववृत्त सही हैं और इस संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी की राय/निर्णय अंतिम होगी/होगा।

अध्याय IV अवधि

परिवीक्षा

- (i) इन उप कानूनों के आरंभ होने के पश्चात परिषद् के अंतर्गत किसी पद पर नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति उस पद पर दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन होगा। बशर्ते कि नियुक्ति प्राधिकारी किसी व्यक्ति के मामले में परिवीक्षा की अवधि बढ़ा सकती है।
- (ii) जहां पर किसी व्यक्ति को परिषद् में किसी पद पर परिवीक्षा पर नियुक्त किया गया हो वह संतोषजनक परिवीक्षा अवधि में है नियुक्ति प्राधिकारी:

- (क) पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति के मामले में उसे उस पद पर प्रत्यावर्तित कर सकता है जिस पर वह ऐसी नियुक्ति से तत्काल पूर्व तैनात था।
- (ख) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त व्यक्ति के मामले में एक माह के नोटिस द्वारा बिना कोई कारण बताए उसकी परिषद् में सेवाएं समाप्त कर सकता है।

(iii) प्रत्येक व्यक्ति जिसे परिषद् में पदोन्नति अथवा सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया है अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी करने के पश्चात उस पद पर नियुक्ति हेतु पात्र होगा।

सेवाएं समाप्त करना

(i) एक कर्मचारी की सेवाएं नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समाप्त की जा सकती हैं।

- (क) पहली नियुक्ति के बाद परिवीक्षा की अवधि अथवा बढ़ाई गई परिवीक्षा अवधि के दौरान लिखित में एक माह की सूचना द्वारा अथवा सूचना के एक माह से कम होने पर ऐसी अवधि हेतु भुगतान द्वारा अथवा एक माह के वेतन के भुगतान द्वारा बिना किसी सूचना के किसी भी समय।
- (ख) परिवीक्षा अवधि पूरी करने के पश्चात् लिखित में तीन माह की सूचना द्वारा अथवा सूचना के तीन माह से कम होते पर ऐसी अवधि हेतु भुगतान द्वारा अथवा तीन माह के वेतन के भुगतान पर बिना किसी सूचना के किसी भी समय।
- (ग) ठेका कर्मचारी के मामले में सेवा समाप्ति की विधि और सूचना की अवधि नियुक्ति आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए।

(ii) कोई कर्मचारी जिसे खंड (1) के अंतर्गत सेवा समाप्ति की सूचना के दौरान ऐसी अर्जित छुट्टियां दी जा सकती हैं जो उसे ग्राह्य हों।

सेवानिवृत्ति

(i) कोई कर्मचारी परिषद् की सेवा से सेवानिवृत्त होगा।

- (क) 58 वर्ष की आयु होने पर बशर्ते कि यदि किसी कर्मचारी को 58 वर्ष की आयु के पश्चात परिषद् में बनाए रखना परिषद् के हित में है वे उसे एक वर्ष की अवधि हेतु 60 वर्ष की आयु का होने तक एक बार में एक वर्ष तक के लिए पुनः नियोजित किया जा सकता है

बशर्ते कि उसका स्वास्थ्य अच्छा हो।

(ख) उसे सरकारी अस्पताल के सिविल सर्जन के रैंक के सक्षम प्राधिकारी द्वारा सेवा हेतु चिकित्सा की दृष्टि से अस्वस्थ घोषित किए जाने पर।

(ग) अनिवार्य सेवानिकृति की दीर्घ शास्ति लगाए जाने पर।

त्याग पत्र

(i) (क) कोई कर्मचारी, यदि वह परिवीक्षा पर है तो नियुक्ति प्राधिकारी को एक माह की लिखित में सूचना देने के द्वारा और यदि उसे नियमित आधार पर नियुक्त किया गया है तो तीन माह की सूचना के द्वारा, परिषद् की सेवाओं को त्याग सकता है।

(ख) कोई कर्मचारी जिसे किसी विशेष परियोजना पर कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है विशेष नियुक्ति आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि हेतु नियुक्ति प्राधिकारी की लिखित में सूचना के द्वारा परिषद् की सेवाएं त्याग सकता है।

(ii) नियुक्ति प्राधिकारी, यदि किन्हीं विशेष परिस्थितियों में यह उचित समझती है, तो कर्मचारी को उक्त खंड (1) में निर्धारित सूचना की अवधि से कम अवधि की सूचना द्वारा परिषद् की सेवाओं से त्यागपत्र देने की अनुमति दे सकता है।

(iii) त्यागपत्र केवल तभी मान्य होगा जब यह नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिया जाएगा।

अध्याय V वेतन

आरंभिक वेतन

(i) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त कर्मचारी सावधिक वेतनमान में अपनी नियुक्ति होने पर सावधिक वेतनमान के निम्नतम स्तर का वेतन प्राप्त करेगा बशर्ते कि नियुक्ति प्राधिकारी निम्न के उपनियम 2 अध्याय नी निर्णय कर सकता है कि कर्मचारी को उच्च स्तर का वेतन प्राप्त होना चाहिए।

- (i) उन कर्मचारियों, जिन्हें नए पदों पर नियुक्त पदोन्नत किया गया है जिसमें अधिक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व वाले पदों पर कार्य भार ग्रहण करना अथवा असक्षमता अथवा दुर्व्यवहार अथवा कर्मचारी के अनुरोध पर किसी अन्य पद पर स्थानांतरित करना शामिल है, कि वेतन का निर्धारण भारत सरकार के कर्मचारियों पर समय-समय पर लागू होने वाले नियमों के अनुसार किया जाएगा।

वेतनवृद्धि

- (i) सावधिक वेतनमान में वेतनवृद्धि प्राप्त की जाएगी जब तक कि इसे इन उप कानूनों के अध्याय XI के प्रावधानों के अंतर्गत रोका न जाए।
- (ii) नियुक्ति प्राधिकारी किसी कर्मचारी के असाधारण गुणों को मान्यता देने हेतु उसे अतिरिक्त वेतनवृद्धि जिसकी संख्या तीन से अधिक न हो, यदि यह उचित समझे तो संस्वीकृत कर सकती है बशर्ते कि ऐसी अतिरिक्त वेतनवृद्धियां किसी एक कर्मचारी के मामले में 5 वर्षों में एक बार से अधिक बार न दी जाएं।
- (iii) नियुक्ति प्राधिकारी किसी कर्मचारी को अपने सावधिक वेतनमान में दक्षता रोध पर करने हेतु सक्षम प्राधिकारी होगा।

वेतनवृद्धि हेतु सेवा

एक पद के सावधिक वेतनमान में वेतनवृद्धि हेतु निम्नलिखित सेवा की गणना की जाएगी:

- (i) उस पद पर अथवा समान अथवा उच्च ग्रेड के किसी अन्य पद पर की गई सेवा, चाहे नियमित हो अथवा नहीं।
- (ii) विदेश सेवा में समकक्ष अथवा उच्च पद पर की गई सेवा और
- (iii) असाधारण अवकाश के अतिरिक्त अवकाश।

अवकाश के दौरान अवकाश वेतन

- (i) परिषद् के कर्मचारियों को अवकाश के दौरान का अवकाश वेतन उन्ही दरों और शर्तों पर देय होगा जिन पर समय-समय पर भारत सरकार के कर्मचारियों के लिए देय है। ठेका कर्मचारियों के मामले में उन्हें अवकाश वेतन की गणना के प्रयोजन हेतु कर्मचारी माना जाएगा।
- (ii) कोई कर्मचारी जो अध्ययन अवकाश पर है, उन दरों पर वेतन प्राप्त करेगा जो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट की गई बशर्ते कि परिषद् द्वारा निर्धारित अध्ययन भत्ते की दरें केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम 1972 के नियमों की तुलना में अधिक उदार न हों।
- (iii) असाधारण अवकाश पर होने पर कर्मचारी को कोई वेतन देय नहीं होगा।

विशेष वेतन मानदेय और शुल्क

(i) कोई कर्मचारी उस पद पर जिस पर उसकी नियुक्ति हुई है, वेतन उस तिथि से पाने का पात्र होगा जिस दिन उसने उस पद पर कार्य भार ग्रहण किया हो यदि उस तिथि को पूर्वाह्न में कार्यभार ग्रहण किया गया है यदि कार्यभार अपराह्न में ग्रहण किया गया है उसे आगामी दिन से वेतन प्राप्त होगा।

(ii) कर्मचारी जिसने परिषद् की सेवाओं से उप कानून 15 के अंतर्गत निर्धारित सूचना के बगैर त्यागपत्र दिया हो, को वेतन जो देय है लेकिन प्राप्त नहीं किया गया है, को निकालने की अनुमति नहीं होगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा तत्संबंधी अनुमति न दी जाए बशर्ते कि रोका गया वेतन इन उप कानूनों में निर्दिष्ट सूचना की अवधि से अधिक न हो।

अध्याय VI भत्ते

भत्तों के प्रकार

परिषद् के कर्मचारियों को निम्नलिखित भत्ते उन्हीं दरों और शर्तों पर देय होंगे, जो भारत सरकार के कर्मचारियों को समय-समय पर देय है:

- (i) मंहगाई भत्ता
- (ii) नगर प्रतिकर भत्ता
- (iii) छुट्टी यात्रा भत्ता
- (iv) यात्रा और दैनिक भत्ता
- (v) बालक शिक्षा भत्ता (ट्यूशन शुल्क की प्रतिपूर्ति सहित)
- (vi) धुलाई भत्ता
- (vii) समययोपरि भत्ता
- (viii) मकान किराया भत्ता

निर्वाह अनुदान

निलंबित कर्मचारी निम्नलिखित भुगतानों हेतु, पात्र होगा अर्थात:

(I) उस अवकाश वेतन के समान निर्वाह भत्ता जो कर्मचारी आहरित करता यदि वह अर्द्धवैतनिक अवकाश पर होता तथा साथ में मंहगाई भत्ता यदि ऐसे अवकाश वेतन के आधार पर यह देय हो बशर्ते कि जहां निलंबन की अवधि तीन माह से अधिक हो प्राधिकारी जिसने निलंबन किया है अथवा जो निलंबन का आदेश करने हेतु मान्य है प्रथम तीन माह की अवधि के परिणाम स्वरूप की अवधि हेतु निर्वाह भत्ते की राशि में फेरबदल करने में निम्नानुसार सक्षम होगा।

(क) निर्वाह भत्ते की राशि में उपयुक्त वृद्धि की जा सकती है लेकिन यह पहले तीन माह की अवधि के दौरान देय निर्वाह भत्ते के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए यदि उक्त प्राधिकारी की राय में लिखित में दर्ज कारणों से निलंबन की अवधि बढ़ाई गई है जो प्रत्यक्षतः कर्मचारी से संबंधित नहीं हैं।

(ख) निर्वाह भत्ते की राशि में उपयुक्त कटौती की जा सकती है लेकिन यह पहले तीन माह की अवधि के दौरान देय निर्वाह भत्ते के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए, यदि उक्त प्राधिकारी की राय में निलंबन की अवधि लिखित में दर्ज कारणों से बढ़ाई गई है जो कि प्रत्यक्षतः कर्मचारी से संबंधित हैं।

(घ) मंहगाई भत्ते की दरे उक्त उपखंड (i) और (ii) क अंतर्गत देय निर्वाह भत्ते की बढ़ाई अथवा घटाई गई, जैसा भी मामला हो, राशि पर आधारित होंगी।

(ii) अन्य कोई प्रतिपूरक भत्ता समय-समय पर उस मूल वेतन के आधार पर देय होगा जो कर्मचारी निलंबन की तिथि को प्राप्त कर रहा था बशर्ते कि ऐसे भत्ते के आहरण हेतु निर्धारित अन्य शर्तें पूरी होती हों।

(iii) उपनियम (क) के अंतर्गत तब तक कोई भुगतान नहीं किया जाएगा जब तक कि

कर्मचारी यह प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं करता कि वह किसी अन्य रोजगार, व्यापार, प्रोफेशन अथवा व्यवसाय में नहीं लगा हुआ है बशर्ते कि बर्खास्त, हटाए गए अथवा सेवा से अनिवार्यत सेपानिवृत्त किए गए किसी कर्मचारी जो केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1965 के नियम 12 के उपनियम 3 अथवा उपनियम 4 के अंतर्गत ऐसी बर्खास्तगी अथवा सेवा से हटाए जाने अथवा अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तिथि से निलंबित किए जाने अथवा निलंबन में बने रहने हेतु मान्य हैं और जो किसी अवधि उस अवधि जिसमें उन्हें निलंबित किया गया अथवा निलंबन के अधीन के लिए उक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहते हैं तो वे निर्वाह भत्ता और अन्य भत्ते जो ऐसी अवधि अथवा अवधियों जैसा भी मामला हो, के दौरान निर्वाह भत्ते और अन्य भत्ते की राशि से कम है, के समान राशि जो अन्यथा उसके द्वारा अर्जित राशि के समान अथवा कम देय होती प्राप्त करने का हकदार होगा, पर इस प्रावधान में कुछ भी लागू नहीं होगा।

भत्तों का आहरण

यात्रा भत्ता, छुट्टी यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता सामान्यता कर्मचारी को अपने मुख्यालय वापस आने पर देय होंगे। बशर्ते कि महानिदेशक अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी ऐसी राशि जो वह भत्ते के लिए उचित मानता/मानती है कि अग्रिम के भुगतान की संस्वीकृति दे सकता/सकती है।

उप कानून 15 द्वारा विनिर्दिष्ट सूचना के बगैर परिषद की सेवा से त्यागपत्र देने वाले कर्मचारी को जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी निदेश नहीं देते, देय लेकिन आहरित न किया जाए अंतिम वेतन और भत्ते आहरित करने की अनुमति नहीं होगी बशर्ते कि आहरण किए जाने वाले वेतन और भत्ते सूचना की अवधि हेतु, वेतन भत्ते से अधिक नहीं होनी चाहिए।

अध्याय VII चिकित्सा सुविधाएं

परिषद् के कर्मचारियों जिसमें सरकारी विभाग से प्रति नियुक्ति पर आए कर्मचारी भी शामिल हैं जिन्हें के.स.स्वा. सेवाएं उपलब्ध नहीं कराई गई हैं, को ऐसी दरों और शर्तों पर चिकित्सा भत्ता प्रतिपूर्ति की जाए जो परिषद् द्वारा भारत सरकार के अनुमोदन से निर्धारित की गई हैं।

अध्याय VIII छुट्टी

परिषद के कर्मचारियों को, सेवानिवृत्ति पर अनुपयोग की गई अर्जित छुट्टियों तथा सेवा के दौरान मृत्यु होने पर अवकाश वेतन सहित सभी प्रकार की छुट्टियां उन समान निबंधनों और शर्तों पर देय होंगी जिन पर के 3 सरकार के कर्मचारियों को समय-समय पर देय है।

अवकाश प्राप्त करने हेतु प्रक्रिया

- (i) कर्मचारी द्वारा, अवकाश पर जाने से पूर्व महानिदेशक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन किया जाए और अवकाश के दौरान का अपना पता भी लिखित में बताया जाये तथा ऐसे पते में तदनंतर होने वाले परिवर्तन से परिषद् को सूचित किया जाए।
- (ii) महानिदेशक अध्ययन अवकाश के सिवाय अन्य सभी अवकाश के आवेदनों का निपटान करने हेतु सक्षम प्राधिकारी होगा। महानिदेशक के मामले में सभापति, कार्यकारी समिति अध्ययन अवकाश के अतिरिक्त अन्य अवकाश संस्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा।
- (iii) अध्ययन अवकाश हेतु, आवेदन पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विचार किया जाएगा और निर्णय लिया जाएगा।
- (iv) परिषद द्वारा प्रत्येक कर्मचारी के संबंध में अवकाश खाते का अनुरक्षण किया जाए।

अध्याय IX सेवानिवृत्ति भविष्य निधि

अंशदायी भविष्य निधि

परिषद का प्रत्येक कर्मचारी समय-समय पर यथासंशोधित क.म.नि. अधिनियम 1952 द्वारा शासित होगा और परिषद के कर्मचारियों को इसके अधीन देय भविष्य निधि लाभ देय होंगे। प्रतिनियुक्ति पर तैनात कर्मचारियों को उनके मूल विभाग के भविष्य निधि नियमों द्वारा शासित किया जाना जारी रखा जाएगा।

उपदान (ग्रेच्युटी)

परिषद के कर्मचारी समय-समय पर यथासंशोधित उपदान संदाय अधिनियम, 1972 के अंतर्गत हकदारी और पात्रता के अनुसार उपदान संदाय हेतु हकदार होंगे। प्रतिनियुक्ति पर तैनात कर्मचारियों को उनके मूल विभाग के उपदान नियमों द्वारा शासित किया जाना जारी रखा जाएगा।

अध्याय X सेवा की सामान्य शर्तें
पूर्णकालिक रोजगार

कर्मचारी का पूरा समय परिषद के उपयोग हेतु होगा और उसे परिषद द्वारा उसे सौंप गए कर्तव्यों का निष्पादन करने हेतु, नियोजित किया जा सकता है खंड (1) की व्यापकता के पूर्वाग्रह को ध्यान में रखें बगैर:-

(i) कर्मचारी को प्रतिनियुक्ति पर भेजा जा सकता है अथवा उसे भारत में अथवा भारत के बाहर निर्देश संबंधी अध्ययन पाठ्यक्रम हेतु जाना पड सकता है।

(ii) कर्मचारी को परिषद में किसी भी स्थान पर सेवा करनी पड सकती है। बशर्ते कि कर्मचारी को अनुशासनात्मक कार्यवाही के परिणाम के सिवाय अपनी नियुक्ति के पद से निचले पद पर सेवा करने की आवश्यकता नहीं हैं।

अध्याय XI आचरण और अनुशासन

आचरण

परिषद के कर्मचारियों को जहां तक लागू होना संभव है, सीसीएस (आचरण) नियम, 1964 और सीसीएस (सीसीएस) नियम 1965 के प्रावधानों द्वारा शासित किया जाएगा।

निलंबन

नियुक्ति प्राधिकारी अथवा इससे कोई अन्य वरिष्ठ प्राधिकारी जिसके यह अधीन है अथवा उसकी ओर से प्राधिकृत कोई अन्य प्राधिकारी परिषद के सदस्य को निलंबित कर सकता है:

- (i) यदि उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाई चल रही हो अथवा लंबित हो अथवा
- (ii) यदि उक्त प्राधिकारी की राय में वह राज्य के हित अथवा सुरक्षा के प्रतिकूल गतिविधियों में लागू हुआ हो अथवा
- (iii) यदि किसी तुच्छ अपराध के संबंध में उसके विरुद्ध मामला जांचाधीन अथवा विचारण अधीन हो बशर्ते कि यदि नियुक्ति प्राधिकारी से निम्न स्तर के प्राधिकारी द्वारा निलंबन आदेश दिया गया हो तो ऐसा प्राधिकारी नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष उन परिस्थितियों को प्रस्तुत करेगा जिनमें आदेश जारी किया।

कर्मचारी पर नियुक्ति प्राधिकारी के आदेश द्वारा निलंबित होने हेतु निलंबन आदेश निम्न प्रकार से प्रभावी होगा:-

- (i) उसके नजरबंद होने की तिथि से यदि उसे 48 घंटे से अधिक की अवधि हेतु किसी दांडिक अपराध के लिए हिरासत में रखा गया हो:-
- (ii) अपराध जिसके लिए उसे 48 घंटे से अधिक की अवधि हेतु, जेल में रखा गया, के लिए अपराध के सिद्ध होने की तिथि से।

यदि निलंबन के अधीन कर्मचारी पर सेवा से बर्खास्तगी, हटाए जाने अथवा अनिवार्य सेवानिवृत्ति की शास्ति अपील में अथवा इन उप कानूनों के अंतर्गत समीक्षा पर अपास्त की गई हो और मामले को और जांच हेतु भेजा गया हो। तो उसके निलंबन आदेश उसकी बर्खास्तगी सेवा से हटाए जाने अथवा अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मूल आदेश की तिथि से लागू रहना जारी रहेगा और अगले आदेशों तक लागू रहेंगे। यदि कर्मचारी पर लगाई गई सेवा से बर्खास्तगी, हटाए जाने अथवा अनिवार्य सेवानिवृत्ति की शासित न्यायालय अथवा अनशासनिक प्राधिकारी, द्वारा मामले की परिस्थितियों पर विचार कर उन आरोपों जिन पर बर्खास्तगी, सेवा से हटाए जाने अथवा अनिवार्य सेवानिवृत्ति की शास्ति लगाई गई थी के विरुद्ध और जांच करने का निर्णय लेने के परिणामस्वरूप अथवा निर्णय द्वारा अपास्त की गई हो अथवा शून्य घोषित की गई हो, तो कर्मचारी नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा बर्खास्तगी, सेवा से हटाए जाने अथवा अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मूल आदेश की तिथि से निलंबित माना जाएगा और अगले आदेशों तक निलंबन अधीन रहेगा बशर्ते कि आगे कोई ऐसी जांच हेतु आदेश न दिए जाए। जब तक कि ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती जहां न्यायालय द्वारा मामले के गुणागुणों पर ध्यान दिए बगैर स्पष्ट रूप से तकनीकी आधार पर आदेश जारी किया गया हो।

(i) इस नियम के अंतर्गत जारी किया गया अथवा किए जाने वाला निलंबन आदेश तब तक लागू होगा जब तक इसे ऐसा करने हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा आशोधित अथवा प्रतिसंहरित न किया गया हो।

(ii) यदि किसी कर्मचारी को निलंबित किया गया है अथवा किया जाना है (चाहे किसी अनुशासनात्मक कार्रवाई के अथवा किसी और संबंध में) और निलंबन के दौरान उसके विरुद्ध कोई अन्य अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू हो जाती है, तो सक्षम प्राधिकारी जो उसे निलंबित कर सकती है, उसके द्वारा लिखित में कारण दर्ज किए जाने पर, निदेश दे सकती है कि कर्मचारी ऐसी सभी अथवा कोई कार्यवाहियों/कार्यवाही के समाप्त होने तक निलंबित रहेगा।

(iii) इस उप-कानून के अंतर्गत जारी किया गया अथवा किए जाने वाला निलंबन आदेश उस प्राधिकारी द्वारा किसी भी समय आशोधित अथवा प्रतिसंहरित किया जा सकता है जिसने आदेश जारी किया हो अथवा जो आदेश जारी करने हेतु मान्य हो अथवा कोई अन्य प्राधिकारी जिसका उक्त प्राधिकारी अधीनस्थ हो।

शास्तियां:

कर्मचारी पर निम्नलिखित शास्तियां उचित और पर्याप्त कारणों से और जैसी यहां पर उल्लिखित हैं, लगाई जा सकती है अर्थात:

लघु शास्तियां

(i) परिनिंदा

(ii) उसकी पदोन्नति रोकना

(iii) परिषद को उसकी लापरवाही अथवा आदेशों के उल्लंघन द्वारा हुई धन संबंधी हानि के पूर्ण अथवा आंशिक भाग की उसके वेतन से वसूली करना

(vi) वेतनवृद्धि रोकना

दीर्घ शास्तियां

(i) सावधिक वेतनमान में निर्धारित अवधि हेतु निम्न स्तर पर लाना और आगे से निदेश देना कि कर्मचारी इस कटौती के दौरान वेतनवृद्धि प्राप्त करेगा अथवा नहीं और ऐसी अवधि से समाप्त होने पर कटौती का उसकी भावी वेतनवृद्धि को स्थगित करने पर प्रभाव पड़ेगा अथवा नहीं।

(ii) निम्न सावधिक वेतनमान, ग्रेड पद अथवा सेवा करना जो सामान्यता कर्मचारी के वर्तमान सावधिक वेतनमान ग्रेड, पद अथवा सेवा जिससे उसे निम्नस्तर पर भेजा गया है, पर पदोन्नति का आधार है, पर उसे उस ग्रेड अथवा पद अथवा सेवा जिससे उसे निम्न स्तर पर भेजा गया था पर बहाल करने तथा उस ग्रेड पद अथवा बहाली के बाद उसकी वरिष्ठता और वेतन के संबंध में आगे निदेशों के साथ अथवा बिना किसी निदेश के, नियुक्त करना।

(iii) अनिवार्य सेवानिवृत्ति

(iv) सेवा से हटाना जो परिषद में भविष्य में रोजगार हेतु अपात्रता नहीं होगी।

(v) सेवा से बर्खास्त करना जो सामान्यतया परिषद में भविष्य में रोजगार हेतु अपात्रता होगी बशर्ते कि किसी अपवाद स्वरूप से मामले में और लिखित में दर्ज विशेष कारणों से कोई अन्य शास्ति लगाई जा सकती है।

शास्तियां लगाने हेतु प्रक्रिया

सीसीएस (सीसीए) नियम, 1965 के नियम 14 से 16 के प्रावधानों का यथा संभव रूप से, शास्तियां लगाने हेतु प्रक्रिया के रूप में अनुसरण किया जाएंगे।

प्रतिनियुक्ति के संबंध में विशेष प्रावधान

यदि प्रतिनियुक्ति पर तैनात कर्मचारी के विरुद्ध निलंबन आदेश जारी किया गया है अथवा अनुशासनात्मक कार्यवाही आरंभ की गई है, ऋणदाता प्राधिकारी को निलंबन अथवा अनुशासनात्मक कार्यवाही आरंभ करने की परिस्थितियों जैसा भी मामला हो की तत्काल सूचना दी जाए।

ऐसे कर्मचारी के विरुद्ध की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही के निष्कर्षों के प्रकाश में

(i) यदि शास्ति लगाने वाले प्राधिकारी की राय है कि उस पर कोई भी दीर्घ शास्ति लगाई जानी चाहिए तो वह ऋणदाता प्राधिकारी की कार्रवाई पर उसकी सेवाओं को प्रतिस्थापित कर सकता है और इसे ऐसी कार्रवाई, जैसी यह उचित समझती हो, हेतु जांच की कार्यवाही को अंतरित कर सकती है।

(ii) यदि शास्ति लगाने वाले प्राधिकारी की राय है कि उस पर कोई और शास्ति लगाई जा सकती है तो वह ऋणदाता प्राधिकारी के साथ परामर्श के पश्चात मामले के संबंध में ऐसे आदेश जारी कर सकता है जैसा यह आवश्यक मानती है बशर्ते कि ऋणदाता प्राधिकारी और शास्ति लगाने वाले प्राधिकारी की राय में अंतर होने की दशा में कर्मचारी की सेवाएं ऋणी प्राधिकारी की कार्रवाई से प्रतिभाषित की जाएं।

व्याख्या:-

उप कानून में ऋणी प्राधिकारी से तात्पर्य उस प्राधिकारी से है जिसने प्रतिनियुक्ति पर तैनात कर्मचारी की सेवाएं परिषद के निष्पादन पर तैनात की हैं।

किसी अन्य संगठन में तैनात कर्पाट के कर्मचारी के संबंध में

विशेष प्रावधान:-

यदि कर्पाट द्वारा अपने किसी कर्मचारी की सेवाएं केंद्र/राज्य सरकार के अधीनस्थ प्राधिकारी अथवा स्थानीय अथवा किसी अन्य प्राधिकारी को प्रदान की गई है (इसके बाद इस नियम में "उधारकर्ता प्राधिकारी" कहा जाता है) तो उधारकर्ता प्राधिकारी के पास ऐसे कर्मचारी को निलंबित करने और उस के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के प्रयोजन से अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु नियुक्ति प्राधिकारी की शक्तियां प्राप्त होंगी: बशर्ते कि उधारकर्ता प्राधिकारी द्वारा कर्मचारी की सेवाएं प्रदान करने वाले प्राधिकारी (इसके पश्चात इन उपकानूनों में "ऋणदाता प्राधिकरण" कहा गया है) को ऐसे सरकारी कर्मचारी के निलंबन आदेश को जारी करने अथवा उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही आरंभ करने के कारणों से संबंधित परिस्थितियों की जानकारी दी जाएं।

ऐसे कर्मचारी के विरुद्ध की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही के निष्कर्षों के प्रकाश में:

(i) यदि उधारकर्ता प्राधिकरण की राय हो कि सरकारी कर्मचारी पर उप-कानून 33.1 के खंड (i) से (iv) में विनिर्दिष्ट कोई शास्ति लगाई जानी चाहिए तो यह ऋणदाता प्राधिकारी के साथ परामर्श के पश्चात, जैसा यह आवश्यक समझती हो मामले के संबंध में ऐसे आदेश जारी कर सकती है।

(ii) यदि उधारकर्ता प्राधिकारी की राय हो कि सरकारी कर्मचारी पर उप-कानून 33.1 के खंड (v) से (ix) में विनिर्दिष्ट कोई ऋणदाता प्राधिकारी के निष्पादन पर प्रतिस्थापित कर सकता है और इसे जांच की कार्यवाही अंतरित कर सकती है और तत्पश्चात ऋणदाता प्राधिकारी, यदि यह अनुशासनात्मक प्राधिकारी है, तत्संबंध में ऐसे आदेश जारी कर सकती है, जैसे वह आवश्यक समझे अथवा यदि यह अनुशासनात्मक प्राधिकारी नहीं है तो मामले को अनुशासनात्मक प्राधिकारी के पास भेज सकती है जो मामले के संबंध में आदेश जारी करे, जैसा वह आवश्यक समझे।

व्याख्या 1: अनुशासनात्मक प्राधिकारी इस खंड के अंतर्गत उधारकर्ता प्राधिकारी द्वारा इसे अंतरित की गई जांच के रिकार्ड के आधार पर अथवा जितनी लंबी जांच यह करना चाहे, करने के पश्चात आदेश जारी करती है।

व्याख्या 2: उधारकर्ता प्राधिकारी से तात्पर्य उस प्राधिकारी से है जिसके निष्पादन पर कपार्ट द्वारा कर्मचारी की सेवाएं दी गई हैं और ऋणदाता प्राधिकारी का अर्थ 'कपार्ट' होगा।

अनुशासनात्मक प्राधिकारी

उपकानून 6 में विनिर्दिष्ट नियुक्ति प्राधिकारी अथवा कोई अधीनस्थ प्राधिकारी जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विशेष शक्तियां सौंपी गई हैं विभिन्न प्रकार की शक्तियों की श्रेणियों हेतु अनुशासनात्मक प्राधिकारी होगा।

फा.सं. 14.9/96 एईडी

12/2/1996

कार्यालय आदेश

कपार्ट (सेवा) उप-कानून के अंतर्गत प्रदत्त शक्ति का उपयोग करते हुए डीडीजी (प्रशासन) कपार्ट को एतद् द्वारा परिषद में लघु शास्तियां लगाते हेतु समूह ख, ग और घ के पदों हेतु अनुशासनात्मक प्राधिकारी घोषित किया जाता है।

(एम के रंजीत सिंह)

महानिदेशक

फा.सं. 14.9/96 एईडी

12/2/1996

कार्यालय आदेश

कपार्ट (सेवा) उप-कानून के उप-कानून 35 के अंतर्गत प्रदत्त शक्ति का उपयोग करते हुए क्षेत्रीय समितियों के सदस्य संयोजकों को एतद्द्वारा क्षेत्रीय समितियों में लघु शास्तियां लगाने हेतु समूह ख, ग और घ हेतु अनुशासनात्मक प्राधिकारी घोषित किया जाता है।

अशोक जेटली

महानिदेशक

वितरण

क्षेत्रीय समितियों के सभी सदस्य संयोजक

कार्यालय आदेश कार्यकारी समिति के अनुमोदन से, महानिदेशक, कपार्ट को परिषद में कपार्ट (सेवा) उप कानून के उप कानून 35 के अंतर्गत लघु शास्तियां लगाने हेतु समूह क पदों हेतु अनुशासनात्मक प्राधिकारी के रूप में घोषित किया गया है।

(के.के. बांगर)

उपमहानिदेशक

अध्याय XII

अपील और समीक्षा

अपील प्राधिकारी

अपील, महानिदेशक द्वारा कार्यकारी समिति को दिए गए मूल आदेश और महानिदेशक के रैंक से निचले रैंक के प्राधिकारी द्वारा महानिदेशक को दिए गए आदेश से की जाए।

अपील हेतु समिति अवधि

कोई अपील तब तक स्वीकार नहीं की जाएगी जब तक कि इसे उस तिथि, जिस पर विरुद्ध आदेश की जानकारी संबंधित व्यक्ति को भेजी गई, से एक माह की अवधि के भीतर न भेजा जाए। बशर्ते कि अपील प्राधिकारी उक्त अवधिकी समाप्ति के पश्चात अपील को स्वीकार कर सकता है यदि अपील को समय पर जमा न करने के पर्याप्त कारण हैं।

अपील भेजना

- (i) अपील करने वाला प्रत्येक अपने नाम से अलग से अपील करे।
- (ii) अपील प्राधिकारी को भेजी गई अपील में सभी विवरण और तर्क जिन पर अपीलकर्ता निर्भर करता है शामिल होनी चाहिए तथा इसमें अनादरपूर्वक अथवा अनुचित भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए तथा यह पूर्ण होनी चाहिए।
- (iii) प्रत्येक अपील महानिदेशक को भेजी जाएं जो यदि स्वयं अपील प्राधिकारी न हो तो इसे अपील प्राधिकारी को अंतरित करे।

अपील पर विचार करना

अपील प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक अपील पर विचार किया जाए और ऐसे आदेश जारी किए जाएं जो यह मामले की स्थिति के अनुसार उचित समझती हो। बशर्ते कि बढी हुई शास्ति लगाते हुए जब तक कि आरोपी को कोई अभ्यावेदन जो वह ऐसी बढाई गई शास्ति के विरुद्ध देना चाहता है, प्रस्तुत करने का अवसर न दिया जाए। बशर्ते कि बढाई गई शास्ति लगाने संबंधी कोई आदेश जिसके परिणामतः उपकानून 33 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट दीर्घ शास्तियों में से कोई शास्ति लगाई जा सकती है उक्त के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नियमित जांच किए और बगैर पारित नहीं किया जा सकता है।

समीक्षा

कार्यकारी समिति स्वयं के प्रस्ताव अथवा किसी अन्य प्रकार से इन उपकानूनों के अंतर्गत बनाए गए किसी आदेश की समीक्षा कर सकती है और ऐसे आदेश पारित कर सकती है जो मामले की परिस्थितियों में आवश्यक हों:

(i) बशर्ते कि बढ़ाई गई शास्ति लगाने संबंधी कोई आदेश तब तक पारित न किया जाए जब तक कि संबंधित व्यक्ति को कोई अभ्यावेदन जो वह बढ़ाई गई शास्ति के विरुद्ध करना चाहता है, प्रस्तुत करने का अवसर न दिया जाए।

(ii) बशर्ते कि बढ़ाई गई शास्ति जिसके परिणाम स्वरूप उप-कानून 33 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट कोई दीर्घ शास्तियां लगाई जा सकती है, संबंधी कोई आदेश इस हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नियमित जांच किए बगैर पारित नहीं किया जाए।

(iii) बशर्ते इस उप कानून के अंतर्गत कार्रवाई समीक्षा किए जाने वाले आदेश की तिथि से छह माह पश्चात आरंभ न की जाए।

बहाली पर आदेश

यदि कोई कर्मचारी जिसे बर्खास्त अथवा निलंबित किया गया हो, बहाल किया जाता है तो उसे बहाल करने वाले प्राधिकारी द्वारा निम्न को विशिष्ट करने हुए आदेश जारी किया जाए।

(i) क्या कर्मचारी सेवा से अनुपस्थिति की अवधि हेतु उप कानून 23 के अंतर्गत देय वेतन और भत्ते सहित वेतन और भत्ते आहरित कर सकता है अथवा नहीं।

(ii) क्या उक्त अवधि को सभी अथवा किसी प्रयोजन हेतु कार्य पर तैनात अवधि माना जाएगा।

अवकाश

परिषद् में निर्धारित की गई छुट्टियां होंगी।

सेवा पुस्तिका और चरित्र नामवली

परिषद् द्वारा प्रत्येक कर्मचारी की सेवा पुस्तिका और चरित्र नामवली उस प्ररूप और उन विवरणों का उल्लेख करते हुए अनुरक्षित की जाए जैसा कि महानिदेशक द्वारा निर्धारित किया गया है।

महानिदेशक द्वारा शक्तियां सौंपना

महानिदेशक स्वयं में विहित किसी भी शक्ति को इन उपकानूनों के अंतर्गत परिषद् के किसी भी अधिकारी को सौंप सकता है।

किसी कर्मचारी की सेवा शर्तों से संबंधित कोई मामला जिसके लिए इन उप-कानूनों में कोई प्रावधान नहीं बनाया गया है, का निर्धारण कार्यकारी समिति द्वारा किया जाएगा।

छूट देने की शक्ति

इन उप-कानूनों में अन्तर्विष्ट किसी भी बात के बावजूद कार्यकारी समिति किसी कर्मचारी थे मामले में उस ऐसे प्रावधानों के प्रचालन से होने वाली बेकार की और अवांछित कठिनाई से राहत देने के लिए इन उप-कानूनों के किन्हीं प्रावधानों में छूट दे सकती है।

संदेह दूर करना

यदि इस संबंध में कि क्या परिषद् का कोई प्राधिकरण किसी अन्य प्राधिकरण से श्रेष्ठ है अथवा इन उप

कानूनों के किन्हीं प्रावधानों की व्याख्या अथवा अनुप्रयोग के संबंध कोई संदेह हो तो वहां पर कार्यकारी समिति का निर्णय अंतिम होगा।